



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 20617/2026

बालाजी प्रधान

आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

प्रतिवादी

आवेदक पक्ष के अधिवक्ता : मनोज यादव

प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, कृपा शंकर प्रसाद

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति श्री विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज यादव, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री कृपा शंकर प्रसाद, और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना गया।
2. तात्कालिक जमानत अभियुक्त-आवेदक, की धारा 318(4), 317(2) बी.एन.एस., अपराध सं. 218 / 2025, थाना- कोखराज, जिला- कौशाम्बी में आवेदक को **जमानत** आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले की प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई थी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने धोखाधड़ी करके मुखबिर से 15 लाख रुपये लिए और उसे नकली सोना प्रदान किया और जांच के दौरान आवेदक को भी वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया और अभियोजन पक्ष के अनुसार उसके कब्जे से 2.8 लाख रुपये बरामद हुए, लेकिन आवेदक के खिलाफ लगाया गया पूरा आरोप पूरी तरह से झूठा है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् राधादास को इस न्यायालय की समन्यायी पीठ द्वारा आपराधिक मिसल जमानत आवेदन सं. 14268 ऑफ 2026 में पारित आदेश दिनांक 6.5.2026 द्वारा जमानत दे दी गई है। वह आगे तर्क देते हैं कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 25.05.2025 से जेल में है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालाँकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् राधादास को इस न्यायालय की समन्यायी पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतीकरणों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, अर्थात् राधादास को इस न्यायालय की समन्यायी पीठ द्वारा जमानत दे दी गई है और उसी आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 25.5.2025 से जेल में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. आवेदक- बालाजी प्रधान, जो उपरोक्त अपराध में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के दो स्थानीय जमानतदारों के साथ समान राशि के निजी मुचलके को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापित किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के पालन न करने की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर, व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ धारा 229-ए आईपीसी/269 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/84 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रकाशन जारी किया जा सकता है और यदि आवेदक ऐसे प्रकाशन में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ, कानून के अनुसार, धारा 174-ए आईपीसी/209 बी.एन.एस. के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप गठन और (3) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर है या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही करे।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

दिनांक: 16 जून, 2026